रजिस्ट्री संख्या डी. एल.—33001/93

केन्द्रीय सचिवालय ग्रन्थालय
CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 18] नई दिल्ली, शनिवार, मई 1, 1993/वैशाख 11, 1915

No. 18] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 1, 1993/VAISAKHA 11, 1915

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किये गये साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws etc. of a general Character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)

विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 16 अप्रैल, 1993

सा.का.नि..213 :—भारत सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 594 की उपधारा (1) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (कम्पनी विधि प्रशासन विभाग) दिनांक 4 अक्तूबर, 1957 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 3216 (जिसे इसके बाद अधिसूचना कहा गया है) में आंशिक उपारान्तरण करते हुये भारत सरकार(   ) एतद्द्वारा यह निर्देश देता है कि मैसर्स माइक्रोसाफ्ट कारपोरेशन (जिसे इसमें इसके बाद कम्पनी कहा गया है) के मामले में यह एक विदेशी कम्पनी होने पर उक्त धारा 594 की उपधारा (1) के खण्ड (क) की अपेक्षाएं जैसी कि वे किसी विदेशी कम्पनी पर लागू होने के संबंध में अधिसूचना द्वारा उपान्तरित की गई है, निम्नलिखित अपवादों तथा उपान्तरों के अधीन रहते हुये लागू होगी, अर्थात् :—

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 29 मार्च, 1993

सा.का.नि. 219 —राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्रालय अधीन आकाशवाणी महानिदेशालय में ड्राइवर (आटो रिक्शा) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आकाशवाणी महानिदेशालय ड्राइवर (आटो रिक्शा) भर्ती नियम, 1993 है।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान : उक्त पद की संख्या उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि : उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची स्तम्भ 5 में स्तंभ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निर्हता : वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध कर इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6	7
ड्राइवर (आटो रिक्शा)	1* 1992	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" अराजपत्रित अननुसचिवीय	950-20-1150-द.रो.-25-1500 रु.	लागू नहीं होता	18 से 30 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष तक की जा सकती है) टिप्पण : रोजगार	लागू नहीं होता

*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।

7
कार्यालयों के अभ्यर्थियों की दशा में, आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से अभ्यर्थियों के नाम भेजने के लिए कहा गया है।

भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो
8	9	10
1. 8वां स्तर उत्तीर्ण। 2. मोटर यांत्रिक का ज्ञान। 3. जिसके पास विधिमान्य चालक अनुज्ञप्ति हो। 4. चालन का काम से कम तीन वर्ष का अनुभव।	लागू नहीं होता	दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा
11	12
शत प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा। आकाशवाणी (मुख्यालय) के नियमित रूप से नियुक्त समूह "घ" के अर्हता प्राप्त कर्मचारियों को अधिमान्यता दी जाएगी। आकाशवाणी के समूह "घ" कर्मचारियों में से उपयुक्त व्यक्तियों की अनुपलब्धता की दशा में भर्ती रोजगार कार्यालय के माध्यम से की जाएगी	लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
13	14
विभागीय प्रोन्नति समिति (केवल पुष्टि के लिए) 1. इंजीनियरिंग निदेशक (मुख्यालय)—अध्यक्ष 2. उप निदेशक प्रशासन (मुख्यालय)—सदस्य	लागू नहीं होता

[सं. ए.-12018/4/89-एस/बी/ई (ए)]

विजय सरन, अवर सचिव

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 29th March, 1993

G.S.R. 219.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Driver (Auto Rickshaw) in the Directorate General, All India Radio under the Ministry of Information and Broadcasting, namely :—

1. Short title and commencement.—These rules may be called the Directorate General, All India Radio Driver (Auto Rickshaw) Recruitment Rules, 1993.

2. Number of post, classification and scale of pay.—The number of the post, its classification and scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to the person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any persons from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in his regard.

SCHEDULE

Name of post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection or Non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Driver (Auto Rickshaw)	1* (1992) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted Non-Ministerial.	950-20-1150-EB-25-1500	Not applicable	Not applicable	Between 18–30 years (relaxable for Govt. Servants upto 40 years in accordance with the instructions or orders of the Central Government.) Note.—The crucial date for determining the age limit in the case of candidates from employment exchanges shall be the last date upto which the employment Exchanges are asked to nominate candidates

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment : whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer grades from which promotion/deputation/transfer to be made
8	9	10	11	12
Essential : 1. 8th Standard Pass. 2. Knowledge of Motor Mechanism. 3. Possession of valid driving licence. 4. Experience of driving at least for three years.	Not applicable	Two years	100 per cent by direct recruitment. Preference will be given to regularly appointed Group 'D' qualified employees of AIR (Headquarters). In case of non-availability of suitable persons from amongst Group 'D' employees of AIR, the recruitment will be made through employment exchange.	Not applicable

If a Departmental Promotion Committee/Selection Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment rules
13	14
Departmental Promotion Committee (For Confirmation only) : 1. Director of Engineeng (Head quarter)—Chairman 2. Dy. Director of Administration (Head Quarter)—Member	Not applicable

[No. A-12018/4/89-SV/E(A)]
VIJAY SHARNA, Under Secy.

श्रम मंत्रालय

धनबाद, 13 अप्रैल, 1993

सा.का.नि. 220:—कोयला खान नियम, 1957 के विनियम 2 के खण्ड (23) एवं विनियम 173 के खण्ड (डी) के द्वारा, प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुख्य खान निरीक्षक एतद्द्वारा निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट फर्म द्वारा विनिर्मित उक्त सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट विस्फोटक को द्वितीय स्तरीय सभी गैसी कोयला खानों/सीमों में कोयला को नीचे से, मध्य से या ऊपर से कटाई के पश्चात् अनुज्ञात विस्फोटक के रूप में व्यवहार के लिए अधिसूचित करते हैं। वे उक्त अनुज्ञेय के लिए उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में यथानिर्दिष्ट अनुज्ञेय अधिकतम भरण भी अधिसूचित करते हैं।

सारणी

विस्फोटक का नाम	फर्म का नाम	किसी एक शाट होल में अनुज्ञेय अधिकतम प्रभार
परमाडायन पी.ई.-3 एल., पी-3 प्रकार विस्फोटक	मै. आई.डी.एल. केमिकल्स लि., पो. बाक्स सं.-1, सनातनगर (आई.ई.) पी.ओ., हैदराबाद-500018	800 ग्राम

[सं. 14(13)79-सामान्य/1302]
बी.के. शरण, मुख्य खान निरीक्षक
(खान सुरक्षा महानिदेशक के रूप में भी पदनामित)

MINISTRY OF LABOUR

Dhanbad, the 13th April, 1993

G.S.R. .... 220. In pursuance of clause (23) of regulation 2 and clause (d) of Regulation 173 of the Coal Mines Regulations, 1957 the Chief Inspector of Mines hereby notifies the explosive specified in column (1) of the Table below manufactured by the firm specified in column (2) of the said Table to be permitted explosive suitable for use in all gassy coal mines/seams of second degree for blasting in coal after it has been under-cut, mid-cut or over-cut etc. He further lays down the permissible maximum charge as specified in column (3) of the said Table for the said permitted explosive.

TABLE

Name of Explosive	Name of firm	Permissible maximum charge in any shot-hole
1	2	3
Permadyne PE-3L, a P3 type of explosive.	M/s. IDL Chemicals Ltd., Post Box No. 1, Sanatnagar (IE) P.O., Hyderabad-500 010 (A.P.)	800 gms.

[No. 14(13)/79-Genl./1302]
B.K. SHARAN, Chief Inspector of Mines
(Also designated as Director-General of Mines Safety)